भारतीय प्रजातंत्र में चुनावी प्रवृतियॉ एवं सुधार

डॉ. सौ. विभा देशपांडे
कला व विज्ञान महाविद्यालय, कु-हा

26 जानेवारी 1950 इस दिन हमारे देश में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र में लोक निष्ठा और लोक भावना का समावेश होता है। इसमे चुनाव का महत्व सर्वप्रथम और सर्वधिक है। इससे लोक कल्याण प्रकट होता है। लोकतंत्र में चुनाव राजनैतिक शिक्षा देने का विश्व विद्यालय है। लोकतंत्र जन प्रतिनिधी का एक ऐसा तंत्र है, जिसमे जनकल्याण की भावना से सभी कार्य सम्पन्न किए जाते है। लोकतंत्र का महत्व इस दृष्टि से भी होता है की लोकतंत्र मे सबकी भावनाओ का सम्मान होता है। और सबको अपनी भावनाओको स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। लोकतंत्र मे किसी प्रकार की भेद–भावना, असमानता, विषमता आदि को कोई स्थान नही मिलता है। इसकी पूर्तता के लिए लोकतंत्र अपने चुनावी मुद्दो और वायदों के रखते हुए कमर कस करके उन्हे दुर करने की पूरी कोशिश करता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयॉ और उलझनें आ जाएँ, चुनाव की आवश्यकता इनसे अधिक बढ कर होती है।

निःसंदेह जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, सशक्त, प्रगतिशील, उदारवादी, कल्याणकारी व आधुनिक राष्ट है। साथ ही आज 21 वी शताब्दी में औद्योगीकरण वैज्ञानिकीकरण और तकनिकीकरण की दृष्टि से हमेश विकासमान गतिमान राष्ट्र बना हुआ है। इन तमाम उपलब्धियो और प्रगति के बावजूद भारत का संसदीय लोकतंत्र अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जनता विवश, लाचार और बेबस नजर आती है की, वह किसका चुनाव करे। वह जिसे चुनती है, वही गद्दार और शोषक बन जाता है। साथ ही आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, नस्ल–रंगवाद, अलगाववाद, सिध्दांत–विचारविहीन राजनिती हिंसा–अपराध, भ्रष्ट्राचार राजनिती का अपराधीकरण, लाचार विपक्ष इत्यादि चुनौतिया लोकतंत्र के समक्ष सुरसा के समान चुनौतियॉ है। साथ ही आबादी का महाविस्फोट, अशिक्षा, गरीबी, बेकारी, धार्मिक–साम्प्रदायिक कट्टरता और पाखण्ड आर्थिक विषमता, सम्पती का केन्द्रीकरण कुछ घरानो में, अवसरवादी दलप्रणाली का विकास, इत्यादि संसदीय लोकतंत्र की समस्याओ को और अधिक जटिल बना दिया है।

वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि संसदीय लोकतंत्र कि नकारात्मक प्रवृत्तियो को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली व मतदान व्यवहार के स्वरूप को इस प्रकार संगठीत किया जाए, जो सजीव व जीवन्त हो साथ ही व्यक्ति के अधिकार–कर्तव्यों मे सामंजस्य हो, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गौरव व सम्मान वास्तविकता का स्वरूप कर सके। लोकतंत्र का बुनियादी आधार चुनाव व मतदान प्रणाली होता है। भारत में लोकसभा चुनाव में 2009 मे जो सम्पन्न हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत मतदाताओने अपने मत का प्रयोग किया, 2014 के लोकसभा में ये संख्या बढकर 60–65 प्रतिशत हुई। यह भी मतदान का प्रतिशत तब बढा जब चुनाव आयोग, संचार, मीडिया, देश के नामी बुद्धिजीवी, खेल, फिल्म, साहित्य और स्थापित संस्थाओ ने बार–बार जनता को मतदान करने हेतु प्रेरित किया: साथ ही एडी – चोटी का जोर लगाकर प्रचार किया। कई मतदाताऔ ने पोलिंग बुथ की शक्ल तक नही देखी, साथ ही फर्जी, बोगस मतदान का अपना हिस्सा है ही, और ''नोटा'' मतदान की व्यवस्था और कर दी गई है। संविधान मे इस तरह की, व्यवस्था हो गयी है कि जिससे राजसत्ता पर जनता का नही बल्की पेशेवर सत्ताधारी घरानो, का कब्जा किसी–न–किसी रूप में बना रहे, इसलिए न्यूनतम वोटिंग की कोई सीमा नही रखी गयी है। वर्तमान में भारत के संसदीय लोकतंत्र पर पॉच वर्गो का अप्रत्यक्ष नियंत्रण दिखाई दे रहा है। (1) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्ग (2) पुंजीपति वर्ग, (3) भू–माफिया वर्ग, (4)अपराध माफिया वर्ग एवं (5) साम्प्रदायिक वर्ग

संसद से लेकर विधानमंडल तक इनही वर्गो के हितो में कानुन बनाकर सुरक्षा प्रदान करते है, जनता के हितो से कुछ भी लेना देना नही है। कोई भी संसदीय पार्टी सत्ता मे आने के बाद इनके वर्गीय हितो के खिलाफ नही जा सकती। निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ होता है। चुनावो में व्यक्ति की महत्ता से अधिक धन की महत्ता प्रदर्शित होती है। निर्वाचन में धन का प्रभाव भ्रष्ट्राचार को जन्म देता है। भारतीय निर्वाचन पद्धति में अराजनैतिक, असामाजिक तथा असंवैधानिक तत्वो का प्रभाव बढा है। भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त अपवित्र राजनीति के लिए जनता, राजनेता, जनप्रतिनिधी, प्रशासक, व्यापारी, उद्योगपती, सभी समान रूप से उत्तरदायी है। मात्र राजनेताओं को दोष देने से इतिश्री नही हो जाती। आज भ्रष्ट्राचार को हम चुपचाप सहन कर रहे है यह बहुत बडा दोष है। निर्वाचन के समय अवसर मिलने केबावजूद हम अपना अमुल्य मत जानबुझकर उसे ही दे आते है। हम यह भुल जाते है कि हमारे एक मत का क्या महत्व है ? वास्तव में भारत के नागरिको कि उदासीनता ही लोकतांत्रिक मुल्यो के गिरावट का कारण है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे नेताओं ने काफी हद तक लोगो को अपने अधिकार एवं कर्तव्यो के प्रति जागरूक किया परिणाम स्वरूप मतदान के प्रतिशत में बढौतरी हुई।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए चुनाव सुधार अत्यन्त आवश्यक है। कुछ चुनाव सुधार इस प्रकार सें करना जरूरी है।

1) शिक्षित लोग आसानी से इस तरह के बहकावे मे नही आते है। वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से लोगो कि हर प्रकार कि बात बुद्धि से परखने कि शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे लोग किसी के भुलावे अथवा बहकावे में न आये।
2) अंधविश्वासो एवं पुर्वाग्रहो को खत्म किया जाए ताकि भ्रामक प्रचार न हो सके।
3) लोगो को उनके अधिकारो के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहिए।
4) अल्पसंख्यंको के मतो को भी ध्यान मे रखना चाहिए।
5) भ्रामक प्रचार न करते हुये सामन्य जनता के लिये कुछ आर्थिक सुधार किय जाये।
6) मिथ्या प्रचार के बारे में जनता को सुचना देने का काम सरकारी संस्थाओ को सौपा जा सकता है।
7) चुनावी राजनिती में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए।
8) जिस उम्मीदवार के विरूद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लडने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरूद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो।
9) चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधारपर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिये।

लोकतांत्रिक मुल्यो की स्थापना के लिए चुनाव अपरिहार्य है। यदि ये विकृतियॉ व दोषपूर्ण होगे तो पवित्र और उज्ज्वल लोकतंत्र कि स्थापना कि कल्पना नही कि जासकती। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र कि गरिमा को बरकरार रखा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. लोकतंत्र एवं वि''व''ाान्ति – डॉ. मनोज कुमार, अर्जुन पब्लि''िंग हाऊस नई दिल्ली प्रथम संस्करण – 2013
2. लोकतंत्र का बदलता स्वरूप – डॉ. विनी शर्मा, सत्यम पब्लि''ार्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स
3. भारत की लोकतांत्रिक यात्रा एवं चुनाव – डॉ. ममता मणी त्रिपाठी राधा पब्लिके''न्स, नई दिल्ली.